महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांक : /वि0अ0/2024 दिनांक : /02/2024

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त समिति की सप्तम बैठक दिनांक 24.06.2024 मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ स्थित कैम्प कार्यालय पर अपराह्न 02:30 बजे प्रारम्भ की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

क्रम0संख्या	अधिकारी का नाम	पद
01	प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा कुलपति	अध्यक्ष
02	श्री, बृज किशोर त्रिपाठी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी	सदस्य प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग
03	श्री विश्वेश्र प्रसाद, कुलसचिव	सदस्य
04.	प्रो0 मृदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग, चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ (आनलाइन उपस्थिति)	कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य
05	श्री शैलेश गिरि, वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव एवं

मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

मद सं0 1–वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 13.02.2024 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 06.03.2024 में लिए गए निर्णयों का सम्पुष्टीकरण–

निर्णयः पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों को वित्त समिति के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त पिछली बैठक में लिए गये निणर्यो की पुष्टि की गयी।

मद सं0 2–वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु बजट पारित किए जाने पर विचार।

सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 का वास्तविक बजट तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 का अनुमानित बजट कार्यसूची के पृष्ठ संख्या 01–11 पर संलग्न किया गया है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः समिति के समक्ष प्रस्तुत बजट के कम संख्या 105 पर उल्लिखित मद के साथ–2 "दीक्षान्त समारोह, आदि" शब्द को जोडते हुए तथा अन्य महत्वपूर्ण मदों जैसे मद संख्या–105 अन्य विविध व्यय में रू0 14500000.00, मद संख्या–7 मूल्यांकन 40000000.00, मद संख्या–109, 111, 112 परीक्षा सम्बन्धी मुद्रण, कम्प्यूटर एजेन्सी उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय अंकपत्र निमार्ण एवं परीक्षा परिणाम ऑनलाइन सम्बन्धी कार्य मुद्रण में रू0 103500000.00, मद संख्या–106 उत्तर पुस्तिका खरीद रू0 50000000.00, मद संख्या–62 वाहय सेवा प्रदाता रू0 30000000.00, मद संख्या–97 पेपर सेटिंग रू0 2000000.00 विश्वविद्यालय हेतु प्रस्तावित धनराशि पर सहमति प्रदान करतें हुए सम्यक विचारोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 का वास्तविक बजट तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुमानित बजट को अनुमोदित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मद सं. 3–उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याकंन की अधिकतम सीमा रू0 40000.00 से बढ़ा कर रू0 60000.00 करने पर विचार ।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय में सम एवं विषम सेमेस्टर के परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की अधिकतम मानदेय सीमा रू 40000 है जिसको ऐसे विषयों जिनमें शिक्षको/परीक्षकों की कमी अथवा उपलब्धता कम है यथा वाणिज्य, जन्तु विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, गृह विज्ञान, अंग्रेजी एवं कृषि विज्ञान विषयों में मूल्यांकन की अधिकतम सीमा रू0 40000 से बढ़ाकर रू0 60000 भुगतान करने पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। यह भी सूच्य है कि पूर्व सत्रों/सेमेस्टर की परीक्षाओं के मूल्यांकन में उत्तर पुस्तिकाओं की अधिकता एवं अर्ह शिक्षकों की कमी अथवा अनुपलब्धता के दृष्टिगत मूल्यांकन समन्वयक की आख्या के आधार पर मा0 कुलपति जी द्वारा उक्त सीमा 60000.00 रू0 तक बढ़ाई गई है।

निर्णयः इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा प्रदान की गई अनुमति का समुचित संज्ञान लेते हुए सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं. 4–नवनिर्मित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के साईट–1 एवं साईट–2 को जोडें जानें हेतु अधिग्रहित भूमि के अतिरिक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में।

सूच्य है कि नवनिर्मित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ साईट–1 एवं साईट–2 भूमि को जोडने के लिए शासन से दिनांक 16.01.2024 को रूपये 10 करोड 53 लाख 70 हजार प्राप्त हुआ था, जिसमें से 1 करोड़ 1 लाख धनराशि शेष है साईट–1 एवं साईट–2 जोडने के लिए अधिग्रहित भूमि के अतिरिक्त आवश्यक 1.5576 हेकटेयर भूमि और क्रय किये जानें हेतु अनुमानित लागत 3 करोड़ है। शासन से प्राप्त धनराशि में बची धनराशि रू0 1 करोड 1 लाख के अतिरिक्त रू0 2 करोड़ विश्वविद्यालय स्वनिधि से भूमि क्रय करने के लिए बजट प्राविधान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय हित में प्रकरण समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त भूमि क्रय हेतु विस्तृत विवरण एवं उचित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए जिसमें शासन से अनुमति लेकर अवशेष धनराशि रू0 1 करोड़ 1 लाख का प्रयोग अतिरिक्त भूमि क्रय हेतु प्रयोग किया जा सके प्रकरण सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं. 5–विश्वविद्यालय के कार्य हेतु प्रोग्रामर पद ग्रेड–1 पर 1, प्रोग्रामर ग्रेड–2 के लिए 2 अर्ह व्यक्तियों को रखे जाने के सम्बन्ध में।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय में टेक्निक्ल कार्य के लिए प्रोग्रामर ग्रेड–1 पर 1, प्रोग्रामर ग्रेड–2 पद पर 2, आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति एवं उक्त हेतु वेतन निर्धारण करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः राजभवन एवं उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सत्र 2024–25 से ही समर्थ पोर्टल के समुचित संचालन हेतु दक्ष टेक्निकल टीम की तात्कालिक आवश्यकता है। विश्वविद्यालय द्वारा मा0 राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में समर्थ पोर्टल को लागू कियें जानें हेतु MOU हस्ताक्षरित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर अनुभाग/सेल अभी स्थापित नही हुआ है। कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पदों के सृजन हेतु विश्वविद्यालय से शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत राजभवन एवं उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो जिसमें समर्थ पोर्टल जिसके अर्न्तगत लगभग 24 से अधिक माडूयल हैं को समयबद्व तरीके से लागू कियें जानें के सम्बन्ध में राजभवन/शासन स्तर पर आहूत बैठकों की कार्यवृत्ति का अनुशीलन करते हुयें प्रोग्रामर ग्रेड–1 पर 1, प्रोग्रामर ग्रेड–2 पद पर 2, आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति एवं प्रोग्रामर ग्रेड–1 के लिए नियत वेतन रू0 50000.00, जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्वीकृत किया गया है से सहमति व्यक्त करतें हुए तथा प्रोग्रामर ग्रेड–2 के लिए रू0 30000.00 का मानदेय प्रतिमाह देने के लिए प्रकरण सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। उक्त प्रस्तावित मानदेय शासन से भविष्य में प्राप्त होने वाले निर्देश के अर्न्तगत आवश्यकतानुसार संशोधनीय होगा। मा0 सदस्य प्रो0 मृदुल गुप्ता जी जो मेरठ से आनलाइन बैठक में सम्मिलित थें द्वारा समर्थ पोर्टल संचालन हेतु अतिरिक्त कम्प्यूटर क्रय का सुझाव भी रखा गया जिसे सर्वसम्मति से पारित करतें हुयें पोर्टल संचालन हेतु 20 कम्प्यूटर क्रय कियें जानें पर सहमति प्रदान की गयी। उपरोक्तवत वेतन पर व्यय बजट के मद संख्या 105 अन्य विविध व्यय से एवं कम्प्यूटर पर व्यय बजट के मद संख्या 116 से किया जा सकता है।

मद सं. 6–नवनिर्मित विश्वविद्यालय के परिसर में सुरक्षाकर्मी एवं विद्युत बिल भुगतान के सम्बन्ध में।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय निर्माण की 39वीं पाक्षिक समीक्षा बैठक दिनांक 04/05/2024 में हुई वार्ता के क्रम में कुलसचिव कार्यालय के पत्रांक 3658/कु0का0/2024 दिनांक 31/05/2024 "विश्वविद्यालय के हस्तान्तरित चारों भवनों (प्रशासनिक, शैक्षणिक–एक, शैक्षणिक–दो एवं सुविधा केन्द्र) में जब तक स्थायी वाह्य विद्युत संयोजन नही हो जाता है, तब तक आपके (कार्यदायी एजेन्सी) द्वारा लिये गये विद्युत संयोजन से उक्त चारों भवनों में अस्थायी रूप से विद्युत सप्लाई किये जाने के साथ ही विश्वविद्यालय में सुरक्षा के दृष्टिगत तीन सुरक्षा कर्मी तैनात किये जाने एवं दिनांक 13 मई 2024 से कार्यदायी संस्था के विद्युत संयोजन से विश्वविद्यालय को दी गयी विद्युत सप्लाई एवं तीन सुरक्षा कर्मी का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा"। कार्यदायी संस्था ने पत्र दिनांक 24/4/2024 द्वारा अवगत कराया कि प्रति सुरक्षा कर्मी प्रतिमाह/प्रतिपाली (08 घण्टा) का मानदेय 16 हजार प्लस जी0एस0टी0 है साथ ही कार्यदायी एजेन्सी (आरकान पा0 ई0 प्रा0 लि0) द्वारा माह मई का विद्युत बिल रू0 64891.17 प्राप्त कराया गया है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि माह मई का विद्युत बिल को प्रतिदिन के अनुसार दिनांक 1/05/2024 से 12/5/2024 तक का भुगतान कार्यदायी संस्था से विश्वविद्यालय के खाते में जमा कर कुल विद्युत बिल का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा एवं इसके बाद माहवार भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा ।

मद सं 7– नवस्थापित विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं पर खर्च हेतु स्वीकृति।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक विविध मूलभूत सुविधाओं (कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स, कार्यालयी सामग्री, नेटवर्किंग, सी0सी0टी0वी0, ए0सी0, शैक्षणिक पाठयक्रमों/विभागों हेतु प्रायोगिक प्रयोगशालाएं, कक्षाओं हेतु आवश्यक सामग्री, सुरक्षा की दृष्टि से खिडकियों में लोहे/मेटल की ग्रिल, भवनों में चैनल गेट, वृक्षारोपण, आदि अन्य विविध सुविधाएं/आवश्यकताएं) के व्यवस्था पर होने वाले व्यय की स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इस मद में लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया जाना उचित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

हाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

ांक : /वि0अ0/2024 दिनांक : /02/2024

निर्णयः सम्यक विचारोंपरान्त उपरोक्त पर आनें वाले व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 10 करोड़ का प्रविधान कियें जानें की सहमति देतें हुए मद संख्या 105 अन्य विविध व्यय में रू0 145000000.00 के प्रविधान को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 8– अतिथि प्रवक्ताओं के अतिरिक्त विषयों में मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व में संचालित विषयों के अतिरिक्त एम.एस–सी, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/एम.एस–सी. (कृषि) कृषि अर्थशास्त्र/एप्लाइड आर्टस में मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट (एम.वी.ए)/आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन में मास्टर ऑफ वोकेशन (एचटीएम में एम.वोक.)/एम. एस–सी. रसायन विज्ञान/एम.एस–सी भौतिक विज्ञान/एम.एस–सी. जन्तु विज्ञान/एम.एस–सी वनस्पति विज्ञान में सत्र 2024–25 में अतिथि प्रवक्ताओं के मानदेय भुगतान के सम्बंध में प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त अतिथि प्रवक्ताओं के मानदेय भुगतान शासनादेश के अनुसार पूर्व में निर्धारित दरों पर ही किया जायें, प्रकरण सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं. 9–विश्वविद्यालय के अपने स्रोतों से हुई आय से सावधि जमा में निवेश करने के सम्बन्ध में।

सूच्य है कि पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा इंडियन बैंक में 20 करोड (5+5+10) की सावधि जमा दिनांक 28/2/2023 को की गई थी जिसका नवीनीकरण दिनांक 21/3/2024 को किया गया था तथा दिनांक 04/10/2023 को 20 करोड़ (10+10) की सावधि जमा एच0डी0एफ0सी0 बैंक में की गई थी। वर्तमान में रू 25 करोडं की सावधि जमा की जा सकती है। अपरिहार्य व्यय की स्थिति में पूर्व में की गयी 05 करोड की एफ0डी0 तुडवायी जा सकती है प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त रू 30 करोड की सावधि जमा करने का सर्वसम्मति से निर्णय किया गया।

(शैलेश गिरि)
वित्त अधिकारी/सदस्य
वित्त समिति

(प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा)
कुलपति/अध्यक्ष
वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner